29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3317—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—08—16 के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 167/अ—12/2015—16.

.....

कमलेश वर्मा तनय केदारनाथ वर्मा
निवासी ग्राम महसुआ 517 तहसील रायपुर
कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन

.....अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पालीवाल पैनल, अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील रायपुर कर्चुलियान रीवा म0 प्र0 के आदेश दिनांक 09.8.16 के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कमलेश वर्मा तनय केदारनाथ वर्मा

निवासी ग्राम महसुआ 517 तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 की आराजी कमांक 248, 117/1 कुल किता का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी से सीमांकन की रिपोर्ट मांग की। आवेदक द्वारा दिनांक 2.6.16 को आपत्ति प्रस्तुत की, उनकी आपत्ति निरस्त की गई और दिनांक 9.8.16 को आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की पैत्रिक भूमि का स्वत्वधारी एवं अधिपत्यधारी है जिसमें कब्जा दखल एवं आधिपत्य प्राप्त कर कृषि कार्य करता है इसी भूमि में एक नग टयूबबेल पम्प भी लगा हुआ हैं जिसके माध्यम से कृषि की सिचाई भी करता है। साथ ही इसी आराजी नम्बर कमांक 117/1 रकवा 1.00 एकड़ स्थित भूमि ग्राम महसुआ पटवारी हल्का रायपुर कर्चु उक्त पैत्रिक भूमि का मौके की स्थिति में एक शासकीय अभिलेख में स्वत्वधारी एवं अधिपत्यधारी है, आवेदक द्वारा आराजी कमांक 117/1 रकवा 1.00 उकछ़ के अंश भाग 0.13 डि0 के भूमि का अधिपत्यधारी सहखातेदार भूमिस्वामी के रूप में अभिलेख में दर्ज हें जिस आधार पर आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक समस्त आराजी कमांक 248 एवं 117/1 दोनों भूमियों का सीमांकन आवेदन पेश किया गया था। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा मौके की स्थिति में सूचना पत्र दिनांक 2.6.16 को सीमांकन किये जाने हेतु तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा विधिवत सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि कमलेश वर्मा के सूचना पत्र में जो हस्ताक्षर बने हैं उक्त हस्ताक्षर सूचना पत्र में पटवारी हल्का द्वारा कराया गया था इसी प्रकार हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 2.6.16 में आराजी कमांक 248 के पश्चात काट पीट करते हुये 117/2 का उल्लेख किया गया है।

अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 9.8.16 को किया गया आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान से उचित है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 9.8.16 उचित होने से स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी से सीमांकन की रिपोर्ट मांग की। आवेदक द्वारा दिनांक 2.6.16 को आपत्ति प्रस्तुत की, उनकी आपत्ति निरस्त की गई और दिनांक 9.8.16 को आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा सीमांकन का प्रतिवेदन में अंकित खसरा नंबर 248 की पुष्टि की गई है। अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा का आदेश दिनांक 9.8.16 स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 167/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 9.8.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर